कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाटो, पणजी, गोवा - 403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail : rd-goa@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

जी ई-विविध/287/2024-सामान्य दिनांक: 09/05/2025

परिपत्र

विषय: कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान स्टाफ क्वार्टर के आबंटन हेतु आवेदन के संबंध में।

दुर्गावाडी, तालेगांव में स्थित क.रा.बी.निगम के स्टाफ क्वार्टरों में रिक्त स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन हेतु क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से नए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने पहले आवेदन किया था परंतु अभी तक उन्हें स्टाफ क्वार्टर आबंटित नहीं हुआ है, वे भी इस कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में स्टाफ क्वार्टर आबंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। विधिवत रूप से भरा हुआ नया आवेदन दिनांक 20/05/2025 तक अथवा उससे पहले उचित माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाए। अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यदि कोई आवंटी उक्त आवास की आबंटन तिथि से 8 दिनों के भीतर आवासीय आवास के आबंटन को स्वीकार नहीं करता है, या प्राधिकरण पत्र प्राप्ति की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर उस आवास का कब्जा नहीं लेता, तो उस आबंटी को उस टाइप(type) में आवास के लिए एक महीने के सामान्य अनुज्ञा(लाइसेन्स) शुल्क के भुगतान के शर्ताधीन, आबंटन की अस्वीकृति की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए आवास हेतु आवेदन करने से विवर्जित कर दिया जाएगा।

एक ही टाइप के स्टाफ क्वार्टर में परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकता है। आवेदक आबंटित बदले हुए स्टाफ क्वार्टर को यदि स्वीकार नहीं करता/ करते तो वे भविष्य में उसी टाइप के क्वार्टर के परिवर्तन का हकदार/ के हकदार नहीं होंगे।

स्टाफ क्वार्टरों का टाइप तथा हकदारी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

स्टाफ क्वार्टरों का स्थान	स्टाफ क्वार्टरों का टाइप	दिनांक 01.01.2025 तक वेतन स्तर(लेवल) हकदारी मानदंड
क.रा.बी.निगम स्टाफ क्वार्टर, दुर्गावाड़ी-तालेगांव, गोवा	टाइप -2	वेतन स्तर-2 से स्तर-5 तक

टाइप -3 के लिए पात्र अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनकी पात्रता से एक टाइप नीचे के क्वार्टर हेतु बोली लगाने की अनुमति है।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना तत्काल भेजी जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि क्वार्टर बदलने के लिए आवेदन दिनांक 20/05/2025 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाएँ। दिनांक 20/05/2025 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नए आबंटन नियमों के अनुसार सरकारी आवास आबंटन हेतु नियम, निबंधन और शर्तें- शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) नई दिल्ली की राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 598(ई), दिनांक 16.6.2017 द्वारा प्रकाशित केंद्र सरकार सामान्य पूल आवासीय आवास नियम, 2009 कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए अनुप्रयोज्य हैं, यहाँ लागू होंगे।

(राजेश सिंह)
उप निदेशक(सामान्य)
कृते क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी)

प्रति

1. सभी अधिकारी/ पदधारी, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा।
2. क्षेत्रीय कार्यालय गोवा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी शाखा प्रबन्धक/ शाखा कार्यालय को पात्र आवेदनों को दिनांक 20.05.2025 तक इस शाखा को अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय कार्यालय स्टाफ सूचनापट्ट।

क्र. सं.	विवरण	आवेदक का ब्योरा (आवेदक द्वारा विधिवत भरा गया)
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	क.रा.बी.निगम में कार्यग्रहण की तिथि	
3	कर्मचारी सं.	
4	पदनाम	
5	आवेदक की जन्म तिथि	
6	तैनाती स्थान	
7	संपर्क संख्या /मोबाइल नंबर	
8	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	
9	लिंग (पुरुष/महिला)	
10	वैवाहिक स्थिति	
11	विगत सेवा का विवरण, यदि सभी प्रयोजनों के लिए गिना जाना हो तो	
12	वेतन विवरण: d) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेवल- e) 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड वेतन :- f) वर्तमान मूल वेतन: -	
13	आवेदित स्टाफ क्वार्टर का टाइप(type	
14	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्याङ्ग श्रेणी से संबंधित हैं? यदि हां तो श्रेणी का नाम	
15	क्या आवेदक की पत्नी/पति कार्यरत हैं (यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा दें)	
16	क्या आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा उसके पास क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा की नगरपालिका सीमा के भीतर कोई मकान है/कोई आवास आबंटित है?	
17	क्या वर्तमान में कोई स्टाफ क्वार्टर आबंटित किया गया है? यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्योरा दें। यदि क्वार्टर अभ्यर्पित (सरेंडर) किया गया है, तो उसका कारण सूचित किया जाए।	
18	क्या आवेदक ने आबंटन संबंधी नियम पढ़ लिये हैं?	
19	क्या वह आबंटन संबंधी नियमों का पालन करने के लिए तैयार है?	

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि:

पृष्ठ संख्या 1 पर मेरे द्वारा घोषित विवरण सही हैं।

नए आवंटन नियमों के अनुसार सरकारी आवास आवंटन के लिए नियम, निबंधन और शर्तें- शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) द्वारा प्रकाशित केंद्र सरकार सामान्य पूल आवासीय आवास नियम, 2009 जोकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए लागू हैं, को मैंने पढ़ लिया है तथा मैं कथोक्त के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

मैंने पहले कभी अपने आवास के टाइप(type) में परिवर्तन का लाभ नहीं लिया है।

स्थान :

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर कॉलम 1 से 17 में आवेदक द्वारा दिए गए विवरण को सुसंगत सेवा अभिलेखों से सत्यापित कर लिया गया है तथा सही पाया गया है।

दिनांक : **शाखा अधिकारी(प्रशासन) की मोहर तथा हस्ताक्षर**

प्रति अग्रेषित :

क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी)
सामान्य शाखा
क्षेत्रीय कार्यालय
क.रा.बी. निगम
गोवा- 403001

दिनांक : **शाखा अधिकारी(प्रशासन) की मोहर तथा हस्ताक्षर**

	परिवार के सदस्य का विवरण निम्नानुसार है, जो आबंटित और अधिभोग किए जाने पर क्वार्टर में निवास करेंगे।				
	परिवार के सदस्य का नाम	लिंग	जन्म तिथि	संबंध	अभ्युक्तियाँ (यदि कोई हो)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थान : ____________________

दिनांक: ____________________

(.......................................)

आवेदक के हस्ताक्षर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा - 403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail : rd-goa@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

GE-MISC/287/2024-GEN Date:09/05/2025

CIRCULAR

Sub: Application for allotment of staff quarters during the calendar year 2025

Fresh application forms are invited from officers and officials of ESIC R.O. Goa for allotment of vacant staff quarters situated at ESIC Staff Quarters, Durgawadi, Taleigao.

Interested officers/officials, including those who had applied earlier but have not been allotted staff quarters so far may also apply for the allotment of staff quarter in prescribed form available in this office. New application duly filled in may be submitted through proper channel to reach this office on or before 20/05/2025. Incomplete application will not be considered and will be liable for rejection.

If any allottee fails to accept the allotment of a residential accommodation within 8 days from the date of allotment of the said accommodation, or fail to take possession of that accommodation within five working days from the date of receipt of the letter of authorization, allottee shall be debarred to apply for accommodation for a period of three months from the date of non-acceptance of allotment subject to payment of one month's normal licence fee for that type of accommodation.

Change of staff quarters in the same type can be availed only once. Applicants allotted change of staff quarters, if not accepted, will not be entitled for change of quarters in future in the same type.

Type of staff quarters and criteria for entitlement are as under:

Location of Staff Quarters	Type of Staff Quarters	Entitlement criteria Pay Level as on 01.01.2025
ESIC Staff Quarters, Durgawadi-Taleigao, Goa	Type -2	Pay Level-2 to Level-5

Officers/officials eligible for Type-3 Quarters are allowed to bid for for one type lower than the one eligible.

Receipt of this circular may please be acknowledged immediately. Further it is also informed that the applications for changing the quarters should be submitted till 20/05/2025. The applications received after 20/05/2025 will not be considered.

Rules, terms & conditions for allotment of Government Accommodation as per New Allotment Rules - Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2009 published vide Ministry of Urban Development (Directorate of Estates), New Delhi- Gazette Notification No.GSR-598 (E) dated 16.06.2017 as made applicable for ESIC employees will prevail.

(Rajesh Singh)
Deputy Director (Genl)
For Regional Director I/c

Copy to
1. All officers/officials of ESIC R.O. Goa.
2. All the Branch Managers/Branch Offices, under the jurisdiction of RO Goa with a request to forward the eligible applications to this branch by 20.05.2025.
5. Regional office staff notice board.

Sr. No.	Particular	Applicant Details (duly filled by applicant)
1	Name of Applicant (In Block Letters)	
2	Date Of Joining in ESIC	
3	Employee No.	
4	Designation	
5	Applicant Date of Birth	
6	Place of Posting	
7	Contact No./Mobile No.	
8	Drawing & Disbursing Officer	
9	Sex (Male/Female)	
10	Marital Status	
11	Details of Past Service if counted for all purpose	
12	Pay Details: a) Pay Level as per 7th CPC - b) Grade Pay as per 6th CPC: - c) Present Basic Pay: -	
13	Type of Staff Quarter Applied for	
14	Whether belongs to SC/ST/PH Category, if yes name of category	
15	Whether wife/husband of the applicant employed (if yes give details)	
16	Whether applicant or any of his/her family member own any house/allotted any accommodation with the municipal limits of Regional Office, Goa	
17	Whether presently allotted any staff quarters? if yes details-thereof. If surrendered the reasons thereof.	
18	Whether the applicant has read the allotment rules?	
19	Whether he/she is ready to comply with the allotment rules?	

20	Details of family member as below who will reside in the quarter when allotted and occupied.				
	Name of the Family Member	Sex	Date of Birth	Relationship	Remarks (if any)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Incomplete application will not be considered.

Place: ____________________

Date: ____________________

(.....................................)

Signature of Applicant

DECLARATION

I Declare that:
The particulars declared by me on page No. 1 are correct.
I have gone through the Rules, terms & conditions for allotment of Government Accommodation New Allotment Rules - Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2009 published vide Ministry of Urban Development (Directorate of Estates),as made applicable for ESIC employees and I will abide by the same.
I have not availed change of residence earlier in the type of accommodation occupied by me.

Place:

Date: Signature of the applicant

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Certified that the particulars furnished by the applicant in Col 1 to 17 on the first page of the application have been verified from the relevant service records and found to be correct.

Date: Seal & Signature of the B.O (Administration)

Forwarded to:

Regional Director I/c
General Branch
Regional Office
ESI, Corporation
Panaji-Goa

Date: Seal & Signature of B.O (Administration)